संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से रखेंगे निगरानी

जिले में 1100 स्थानों पर होगा होलिका दहन, इनमें से 10 प्रतिशत संवेदनशील

● रतलाम

आगामी होली, रंग पंचमी तथा अन्य त्योहारों के अवसर पर जिले में शांति तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक सोमवार शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर एम.एल.आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ.इंद्रजीत बाकलवार, सुनील पाटीदार, एसडीएम राजेश शुक्ला, हिमांशु प्रजापति, सुश्री कृत्रिका भिमावद, सुश्री मनीषा वास्कले, श्रीमती कामिनी ठाकुर, जिले के एसडीओ, पुलिस थाना प्रभारी, तहसीलदार आदि उपस्थित थे।

त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया कि असामाजिक तत्वों तथा बदमाशों पर सख्त निगरानी रखी जाए। छोटी सी घटना पर भी तत्काल संज्ञान लिया जाए। किसी भी घटना पर अधिकारी अपना वीडियो वर्जन जारी करें जिसमें घटना की स्पष्ट जानकारी हो। राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों को सतत संयुक्त भ्रमण के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि रतलाम जिले में लगभग 1100 होलिका दहन स्थल हैं। संवेदनशील स्थलों की संख्या 100 से 125 तक है। चिन्हांकित संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कवरेज किया जाएगा जिससे कोई भी घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। उसी स्थान पर फ्लेक्स भी लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा कि आप सीसीटीवी निगरानी में है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सतत निरीक्षण करने, सतर्कता बरतने एवं चौकस रहने के निर्देश दिए। उन्होंने तेज गति से चलने वाले बाइकर्स पर भी सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि होली तथा रंगपंचमी के दिवस पर सुबह से लेकर रात तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

त्यौहारों पर कानून व्यवस्था के लिए हुई पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक

अग्निबाण 15/3/22

नगरीय निकायों की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

प्रसारण

रतलाम। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2022 के द्वितीय चरण के शेष कार्य एवं अंतिम चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि फोटो प्रारूप मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 4 अप्रैल 2022 को किया जायेगा। दावा आपत्ति केन्द्रों पर दावे-आपत्ति 11 अप्रैल तक (अपरान्ह 3 बजे तक) लिये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 16 अप्रैल तक किया जायेगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 25 अप्रैल 2022 को होगा। नवगठित नगरीय निकायों और ऐसे नगरीय निकाय जिनमें क्षेत्र विस्तार किया गया है, किन्तु वार्डों का विभाजन शेष है, वहाँ मतदाता सूची का कार्यक्रम अलग से जारी किया जायेगा।

प्रसारण 16/3/22

मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

रतलाम | राज्य निर्वाचन आयोग अप्रैल में निकायों की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण करेगा। 4 अप्रैल को सार्वजनिक प्रकाशन होगा। 11 अप्रैल तक दावे-आपत्ति ली जाएगी। 16 अप्रैल तक निराकरण होगा। 25 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। ऐसे ही पंचायत की सूची का पुनरीक्षण होगा।

दै. भास्कर 16/3/22

ताकि समय सीमा में लोगों की समस्या का हल निकले, कलेक्ट्रेट में हुई शहर के विकास कार्यों की समीक्षा

काश्यप बोले... निगम में आने वालें आमजन से मिलें निगमायुक्त

● रतलाम

रतलाम शहर के आमजन जब अपनी समस्या के निराकरण के लिए निगम कार्यालय आए तो निगमायुक्त यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति निगमायुक्त से मिल सके और अपनी समस्या बता सके और निगमायुक्त समय सीमा में उस व्यक्ति की समस्या हल करें। उक्त निर्देश विधायक चेतन्य काश्यप ने कलेक्ट्रेट कक्ष में सोमवार को शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ.इंद्रजीत बाकलवार, सुनील पाटीदार, एसडीएम राजेश शुक्ला, सीएसपी हेमंत चौहान, आरटीओ दीपक कुमार आदि उपस्थित थे। बैठक में शहर के सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन के संबंध में चर्चा की गई। सब्जी बेचने वाले हाकर्स को एक नियत स्थान पर सब्जी विक्रय की सुविधा देने पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि आगामी 15 अप्रैल तक सैलाना ओवरब्रिज के नीचे तथा विनोबा नगर श्मशान स्थल के समीप सब्जी विक्रेताओं को विक्रय सुविधा निर्मित कर उपलब्ध करवा दें। विधायक ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि कई स्थानों पर शहर में यह देखा गया है कि सेंट्रल लाइटिंग के ऊपर केवल लाइन खींच दी गई है जो गलत है, उसे हटवाया जाए। सैलाना बस स्टैंड मिशन

कंपाउंड से लगी चार दुकानों को पीछे स्थान पर करने के निर्देश भी विधायक ने दिए। बताया गया कि शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा आगे बढ़कर अपना सामान रख दिया जाता है, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए लाइनिंग की जाएगी। विधायक ने निर्देश दिए कि शहर में निर्माण कार्यों में यह सुनिश्चित करें कि निर्माणकर्ता द्वारा नगर निगम के निर्माण अनुमति संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाए। विधायक ने नगर निगम आयुक्त को यह भी निर्देशित किया कि शहर में दुर्घटना संभावित स्थलों मुख्य मार्गों तथा डार्क स्पॉट पर डिवाइडर एवं हाई मास्ट लगाए जाएं। बैठक में कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि फव्वारा चौक से कलेक्ट्रेट तक मुख्य रोड तथा सर्विस रोड के मध्य रेलिंग लगाई जाए। विधायक श्री काश्यप ने सब्जी तथा फल-फूल मंडी के मथुरी क्षेत्र में स्थापित करने पर चर्चा की। साथ ही बताया गया कि त्रिवेणी क्षेत्र में भी शीघ्र ही सब्जी, फल फूल विक्रेताओं के बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

अग्निबाण । 15/3/22

पहली बार कचरा संग्रहण के लिए लगी 214 ट्रीप, ड्राइवर व हैल्परों का सम्मान

रतलाम. शहर में स्वच्छता अभियान 2022 में नंबर एक की दौड़ में आने की कयावद में लगे नगर निगम ने मंगलवार को एक नया इतिहास बना दिया। 49 वार्डों के घरों से कचरा संग्रहण करने के लिए 214 ट्रीप लगाकर इतिहास रच दिया। पहली बार इतनी संख्या में वाहनों की ट्रीप लगी है। बाद में 5 से अधिक ट्रीप लगाने वाले वाहन संचालक व हेल्परों का सम्मान किया गया। मंगलवार को वार्डों में 5 व 6 ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर सुनील-मांगीलाल, राहूल नाहर, अरविन्द चौहान, मुकेश बैरागी, विशाल कौशल, जितेन्द्र सिन्दल, मुकेश कुमार, सुनील बैरागी, श्याम डंटवाल, पवन प्रेमदास, हिम्मत कंडारे, मनोज, नूर मोहम्मद, कैलाष मईड़ा, साहिर खान, सादिक कुरेशी, तौसिफ, जीवन कचरू, कैलाश परमार, वसीम कादरी व हैल्पर सर्वश्री लखन सुभाश, दीपक लच्छु, राहूल दशरथ, दौलतराम, गोपाल मांगीलाल, लखन दीपक, अभिशेक, प्रवीण पारोचे, सुमित चौहान, गौरव भाटी, निर्मल हाड़े, लेखराज बाली, विवेक सुरेन्द्र, सुमीत, संदीप चिन्दे, विशाल कुवंरपाल, संदीप मुन्ना, मुकेश दिनेश, आनन्द व देवेन्द्र राजेन्द्र का बुधवार को सम्मान किया जाएगा। 13 मार्च को अधिक ट्रीप लगाने वालों का सम्मान किया गया।

पत्रिका

पत्रिका 16/3/22

पहली बार कचरा वाहनों ने 214 ट्रिप में 95 टन कचरा उठाया

रतलाम | स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छे नंबर लाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को नगर निगम ने रिकॉर्ड बनाया। डोर टू डोर चलने वाले वाहनों ने 49 वार्ड में 214 ट्रिप लगाई। 2014-15 से चल रही व्यवस्था में यह मौका था जब 53 कचरा कलेक्शन वाहनों ने इतनी ट्रिप लगाई। 95 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचा।उत्साह बढ़ाने के लिए निगम हर दिन 5 या उससे अधिक ट्रिप लगाने वाले ड्राइवरों का सम्मान कर रहा है।

81 हजार लीटर ट्रीटेड वाटर का हुआ रियूज

करमदी और खेतलपुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकले 81 हजार लीटर ट्रीटेड वाटर का रियूज किया। करमदी एसटीपी प्लांट 6 टैंकर रोड डिवाइडर व डिवाईडर में लगे पौधों की सिंचाई के लिए दिए। वहीं 6000 लीटर का 1 टैंकर निर्माण ठेकेदार को 300 रुपए देकर दिया। खेतलपुर एसटीपी प्लांट से दो टैंकर डिवाइडर में लगे पौधों को सिंचने के लिए तथा 2 टैंकर निर्माण ठेकेदार राहुल नवलखा को 500 रुपए में दिए।

भास्कर

दै. भास्कर 16/3/22

साढ़े पांच लाख प्रधानमंत्री आवास में 28 मार्च को होगा गृह प्रवेश

सिवनी में आयोजन

- **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे**
- **मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों के साथ की तैयारी को लेकर बैठक**

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। 28 मार्च को प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के साढ़े पांच लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार देर शाम कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और कार्यक्रम को यादगार बनाने के निर्देश दिए।

किसी को घर मिले, यह उसके जीवन में उल्लास का विशेष क्षण : बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नागरिक को अपना आवास मिल जाना, उसके जीवन में विशेष उल्लास का क्षण होता है। मध्य प्रदेश में योजना के अच्छे क्रियान्वयन से जो प्रभाव अन्य राज्यों के समक्ष उत्पन्न किया है, उसे कायम रखना है।

गृह प्रवेश के समय दीप जलाएं, रंगोली बनाएं : कलेक्टरों को उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के हितग्राही योजना का लाभ ले रहे हैं, इस नाते जहां गृह प्रवेश होना है, वहां दीप जलाएं और रंगोली बनाएं। गांवों में सरपंच, बुजुर्ग या प्रतिष्ठित व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने कार्यक्रम के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 हजार 298 ग्राम पंचायतों में नए आवासों का निर्माण हुआ है। सभी 22 हजार 710 पंचायतों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होंगे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क विभाग राघवेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नई.

नईदुनिया 16/3/22

शहर के 2433 श्वानों का बधियाकरण

रतलाम। शहर में आवारा श्वानों के बधियाकरण हेतु जुलवानिया में निर्मित किये गये बधियाकरण केन्द्र 22 दिसम्बर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों से नियमानुसार पकड़ा जाकर बधियाकरण केन्द्र लाया जाकर उनका बधियाकरण किया गया जिसके तहत 14 मार्च तक 2433 श्वानों का सफल बधियाकरण किया जा चुका है। सिंधम-15

सिंधम - 15/3/22

श्वान बधियाकरण समिति के 3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त

भास्कर

रतलाम | आवारा कुत्तों के बधियाकरण के लिए नगर निगम द्वारा बनाई निगरानी समिति के तीन सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी है। आशा पति ईश्वरलाल गुप्ता (एनिमल एक्टिविस्ट), सोशल वर्कर आपरा पति पुष्पेंद्र खंडेलवाल व शिल्पा पिता विजय कुमार जोशी ने 2 मार्च को अजंता पैलेस क्षेत्र में श्वान पकड़ने वाली टीम द्वारा पकड़े कुत्तों को छुड़वाया था। निगम ने शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज कराई थी।

दै. भास्कर 16/3/22

नगर निगम के विभिन्न करों से 11.29 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम। संपतिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 12 मार्च शनिवार को कुल राशि रूपये 11,29,409/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 14 मार्च शनिवार को संपतिकर कार्यालय से 455826, वसूली दल 405195 कुल 861021, जलकर कार्यालय से 192345, स्पॉट फाईन 1000, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 12606 व वसूली दल 50425 कुल 63031 लीजरेंट 12012 इस तरह कुल राशि रूपये 11,29,409/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ। सिंधम-15

विधायक ने शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा

सब्जी बेचने वाले हाकर्स को एक नियत स्थान मिले

शहर से अतिक्रमण भी हटाने के निर्देश भी दिए

रतलाम ● स्वदेश समाचार

रतलाम शहर के आमजन जब अपनी समस्या के निराकरण के लिए निगम कार्यालय आएं तो निगमायुक्त यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति निगमायुक्त से मिल सके और अपनी समस्या बता सके और निगमायुक्त समयसीमा में उस व्यक्ति की समस्या हल करें। उक्त निर्देश विधायक चैतन्य काश्यप ने कलेक्ट्रेट कक्ष में शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।

बैठक में शहर के सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन के संबंध में चर्चा की गई। सब्जी बेचने वाले हाकर्स को एक नियत स्थान पर सब्जी विक्रय की सुविधा देने पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि आगामी 15 अप्रैल तक सैलाना ओवरब्रिज के नीचे तथा विनोबा नगर श्मशान स्थल के समीप सब्जी विक्रेताओं को विक्रय सुविधा निर्मित कर उपलब्ध करवा दें।

विधायक ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि कई स्थानों पर शहर में यह देखा गया है कि सेंट्रल लाइटिंग के ऊपर केबल लाइन खींच दी गई है, जो गलत है, उसे हटवाया जाए। सैलाना बस स्टैंड मिशन कंपाउंड से लगी चार दुकानों को पीछे स्थान पर करने के निर्देश भी विधायक ने दिए। बताया गया कि शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा आगे बढ़कर अपना सामान रख दिया जाता है, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए लाइनिंग की जाएगी। विधायक ने निर्देश दिए कि शहर में निर्माण कार्यों में यह सुनिश्चित करें कि निर्माणकर्ता द्वारा नगर निगम के निर्माण अनुमति संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाए। विधायक ने नगर निगम आयुक्त को यह भी निर्देशित किया कि शहर में दुर्घटना संभावित स्थलों मुख्य मार्गों तथा डार्क स्पॉट पर डिवाइडर एवं हाईमास्ट लगाए जाएं। कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि फव्वारा चौक से कलेक्ट्रेट तक मुख्य रोड तथा सर्विस रोड के मध्य रैलिंग लगाई जाए। विधायक श्री काश्यप ने सब्जी तथा फल-फूल मंडी के मथुरी क्षेत्र में स्थापित करने पर चर्चा की, साथ ही बताया गया कि त्रिवेणी क्षेत्र में भी शीघ्र ही सब्जी, फल, फूल विक्रेताओं के बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

20 मार्च तक पूर्ण करें समर्पण निधि संग्रह का कार्य- काश्यप

रतलाम ● स्वदेश समाचार

भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्व. कुशाभाऊ ठाकरे के जन्मशताब्दी वर्ष में चलाए जा रहे समर्पण निधि संग्रह अभियान की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए अभियान के रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिला प्रभारी व विधायक चैतन्य काश्यप ने पार्टीजनों से 20 मार्च तक समर्पण निधि संग्रह का कार्य पूर्ण करने का आह्वान किया। विधायक श्री काश्यप ने रतलाम जिले के विभिन्न मण्डलों में संचालित किए गए समर्पण निधि अभियान की बिन्दुवार समीक्षा की। बैठक को जिला संगठन प्रभारी श्यामसुंदर शर्मा, जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने भी सम्बोधित किया। जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, अभियान के जिला संयोजक प्रदीप चौधरी, सहसंयोजक जयवंत कोठारी मंचासीन रहे। संचालन जिला महामंत्री निर्मल कटारिया ने किया। आभार जिला महामंत्री संगीता चारेल ने माना। बैठक में जिला पदाधिकारी, मण्डल अध्यक्ष एवं मण्डल के समर्पण निधि संग्रह अभियान प्रभारी उपस्थित रहे। स्वदेश

स्वदेश 16/3/22

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 74 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम राजेश शुक्ला द्वारा 74 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ग्राम बाजना निवासी ओमप्रकाश डामर ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी माध्यमिक विद्यालय गढीगमना में प्रधान अध्यापक पर पदस्थ होकर अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त हो चुका है तथा तकनीकी समस्या के चलते प्रार्थी को पेंशन व अन्य स्वत्वो का भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान नहीं होने से प्रार्थी की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी है तथा प्रार्थी कई बीमारियों से पीडित है। अतः पेंशन व अन्य योजनाओं का भुगतान करने की कृपा की जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है। पिपलौदा तहसील के ग्राम उपरवाडा के निवासियों ने आवेदन देते हुए बताया कि ग्राम उपरवाडा में कुछ समय पहले ग्राम पंचायत द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए जाने हेतु अतिक्रमणकर्ताओं को सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था परन्तु आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अतिक्रमण हटाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम जावरा को प्रेषित किया गया है। ग्राम प्रीतमनगर निवासी प्रदीप पिता रामलाल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी के पिता रामलाल पंवार शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय प्रीतमनगर में पीटीएस के पद पर कार्यरत थे तथा 19 फरवरी 22 को उनकी मृत्यु हो गई। पिता के देहान्त के बाद प्रार्थी को न तो अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान हुई और ना ही किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता। प्रार्थी वर्तमान में मजदूरी कर अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। अतः प्रार्थी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए। प्रकरण निराकरण हेतु आयुर्वेद विभाग को भेजा गया है।

ग्राम सुजलाना निवासी योगेश पिता भागीरथ प्रजापत ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी की दोनों किडनियां खराब है तथा वर्तमान में उपचार चल रहा है। प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय है। अतः प्रार्थी को आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रदान किया जाए जिससे अपनी बीमारी का उपचार करवा सके। प्रकरण सीईओ जिला पंचायत को निराकरण के लिए भेजा गया है। इन्द्रलोक नगर निवासी आनन्द राव खण्डेर ने बताया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का होकर रिटायर्ड व्यक्ति है तथा परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। अतः प्रार्थी का विद्युत बिल माफ किया जाए। प्रकरण डीई एमपीईबी को निराकरण के लिए भेजा गया है। इन्दौर

इन्दौर समाचार 16/3/22

जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई, जनसुनवाई में...

74 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम राजेश शुक्ला द्वारा 74 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ग्राम बाजना निवासी ओमप्रकाश डामर ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी माध्यमिक विद्यालय गढ़ीगमना में प्रधान अध्यापक पर पदस्थ होकर अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त हो चुका है तथा तकनीकी समस्या के चलते प्रार्थी को पेंशन व अन्य स्वत्वो का भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान नहीं होने से प्रार्थी की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी है तथा प्रार्थी कई बीमारियों से पीड़ित है। अतः पेंशन व अन्य योजनाओं का भुगतान करने की कृपा की जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है। पिपलौदा तहसील के ग्राम उपरवाडा के निवासियों ने आवेदन देते हुए बताया कि ग्राम उपरवाडा में कुछ समय पहले ग्राम पंचायत द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए जाने हेतु अतिक्रमणकर्ताओं को सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था परन्तु आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अतिक्रमण हटाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम जावरा को प्रेषित किया गया है। ग्राम प्रीतमनगर निवासी प्रदीप पिता रामलाल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी के पिता रामलाल पंवार शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय प्रीतमनगर में पीटीएस के पद पर कार्यरत थे तथा 19 फरवरी 22 को उनकी मृत्यु हो गई। पिता के देहान्त के बाद प्रार्थी को न तो अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान हुई और ना ही किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता। प्रार्थी वर्तमान में मजदूरी कर अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। अतः प्रार्थी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए। प्रकरण निराकरण हेतु आयुर्वेद विभाग को भेजा गया है।

जनसुनवाई...

ग्राम सुजलाना निवासी योगेश पिता भागीरथ प्रजापत ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी की दोनों किडनियां खराब है तथा वर्तमान में उपचार चल रहा है। प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय है। अतः प्रार्थी को आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रदान किया जाए जिससे अपनी बीमारी का उपचार करवा सके। प्रकरण सीईओ जिला पंचायत को निराकरण के लिए भेजा गया है। इन्द्रलोक नगर निवासी आनन्द राव खण्डोर ने बताया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का होकर रिटायर्ड व्यक्ति है तथा परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। अतः प्रार्थी का विद्युत बिल माफ किया जाए। प्रकरण डीई एमपीईबी को निराकरण के लिए भेजा गया है।

राज

राज एक्सप्रेस 16/3/22

74 आवेदनों के निराकरण के निर्देश

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला स्तरीय जनसुनवाई में मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, एसडीएम राजेश शुक्ला द्वारा 74 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में पिपलौदा तहसील के ग्राम उपरवाडा के निवासियों ने बताया कि ग्राम उपरवाडा में कुछ समय पहले ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाए के लिए अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। प्रकरण निराकरण के लिए एसडीएम जावरा को प्रेषित किया गया है। ग्राम प्रीतमनगर निवासी प्रदीप पिता रामलाल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी के पिता रामलाल पंवार शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय प्रीतमनगर में पीटीएस के पद पर कार्यरत थे। 19 फरवरी 22 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद न तो अनुकंपा नियुक्ति मिली न आर्थिक सहायता। प्रकरण निराकरण के लिए आयुर्वेद विभाग को भेजा गया। नई.

नईदुनिया 16/3/22

जनसुनवाई में हुई 74 आवेदनों पर सुनवाई

रतलाम ● जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 74 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे। स्वदेश

स्वदेश 16/3/22

जिले में 1100 स्थानों पर जलेगी होली, 125 संवेदनशील

सिंघम रिपोर्टर ❐ रतलाम

आगामी होली, रंग पंचमी तथा अन्य त्योहारों के अवसर पर जिले में शांति तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक सोमवार शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलवार, सुनील पाटीदार, एसडीएम राजेश शुक्ला, हिमांशु प्रजापति, सुश्री कृतिका भिमावद, सुश्री मनीषा वास्कले, श्रीमती कामिनी ठाकुर, जिले के एसडीओ, पुलिस थाना प्रभारी, तहसीलदार आदि उपस्थित थे।

त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया कि असामाजिक तत्वों तथा बदमाशों पर सख्त निगरानी रखी जाए। छोटी सी घटना पर भी तत्काल संज्ञान लिया जाए। किसी भी घटना पर अधिकारी अपना वीडियो वर्जन जारी करें जिसमें घटना की स्पष्ट जानकारी हो। राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों को सतत संयुक्त भ्रमण के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि रतलाम जिले में लगभग 1100 होलिका दहन स्थल हैं। संवेदनशील स्थलों की संख्या 100 से 125 तक है। चिन्हांकित संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कवरेज किया जाएगा जिससे कोई भी घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। उसी स्थान पर फ्लेक्स भी लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा कि आप सीसीटीवी निगरानी में है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सतत निरीक्षण करने, सतर्कता बरतने एवं चौकस रहने के निर्देश दिए। उन्होंने तेज गति से चलने वाले बाइकर्स पर भी सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि होली तथा रंगपंचमी के दिवस पर सुबह से लेकर रात तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

सिंघम-15

सिंघम - 15/3/22

गदंगी, अमानक पॉलीथीन व खुले में यूरिन उपयोग तथा विक्रय करने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

प्रसारण।

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते है, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते है, खुले में यूरिन करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 14 मार्च सोमवार को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। इसके अलावा विनोबा नगर क्षेत्र में खुले में यूरिन करने पर नासिर पिता बशीर खां निवासी पीएनटी कालोनी को थाने में बैठाया।

प्रसारण। 16/3/22

14 सफाई कर्मचारियों सहित 32 पर कार्रवाई

भास्कर संवाददाता | रतलाम

भास्कर

नगर निगम की सख्ती का कर्मचारियों पर असर नहीं हो रहा है। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने मंगलवार को 32 कर्मचारियों पर वेतन काटने की कार्रवाई की। इनमें 18 कचरा कलेक्शन वाहनों के ड्राइवर और 14 सफाई कर्मचारी शामिल हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों के ड्राइवर पर कार्रवाई आदेश की अवहेलना करने को लेकर की गई है। वहीं सफाई कर्मचारियों पर बिना अनुमति और सूचना के ड्यूटी पर आने पर कार्रवाई हुई है। सभी को बर्खास्त किए जाने का नोटिस भी दिया है।

दै. भास्कर 16/3/22

आमजन अपनी समस्या निराकरण के लिए निगम कार्यालय में आए तो निगमायुक्त उनसे मिलना सुनिश्चित करें

रतलाम, संवाददाता द्वारा। रतलाम शहर के आमजन जब अपनी समस्या के निराकरण के लिए निगम कार्यालय आए तो निगमायुक्त यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति निगमायुक्त से मिल सके और अपनी समस्या बता सके और निगमायुक्त समय सीमा में उस व्यक्ति की समस्या हल करें। उक्त निर्देश विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने कलेक्ट्रेट कक्ष में सोमवार को शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलवार, सुनील पाटीदार, एसडीएम राजेश शुक्ला, सीएसपी हेमंत चौहान, आरटीओ दीपक कुमार आदि उपस्थित थे।

बैठक में शहर के सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन के संबंध में चर्चा की गई। सब्जी बेचने वाले हाकर्स को एक नियत स्थान पर सब्जी विक्रय की सुविधा देने पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि आगामी 15 अप्रैल तक सैलाना ओवरब्रिज के नीचे तथा विनोबा नगर श्मशान स्थल के समीप सब्जी विक्रेताओं को विक्रय सुविधा निर्मित कर उपलब्ध करवा दें। विधायक ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि कई स्थानों पर शहर में यह देखा गया है कि सेंट्रल लाइटिंग के ऊपर केबल लाइन खींच दी गई है जो गलत है, उसे हटवाया जाए। सैलाना बस स्टैंड मिशन कंपाउंड से लगी चार दुकानों को पीछे स्थान पर करने के निर्देश भी विधायक ने दिए। बताया गया कि शहर के मु य बाजारों में दुकानदारों द्वारा आगे बढ़कर अपना सामान रख दिया जाता है, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए लाइनिंग की जाएगी। विधायक ने निर्देश दिए कि शहर में निर्माण कार्यों में यह सुनिश्चित करें कि निर्माणकर्ता द्वारा नगर निगम के निर्माण अनुमति संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाए। विधायक ने नगर निगम आयुक्त को यह भी निर्देशित किया कि शहर में दुर्घटना संभावित स्थलों मु य मार्गों तथा डार्क स्पॉट पर डिवाइडर एवं हाई मास्ट लगाए जाएं।

बैठक में कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि फव्वारा चौक से कलेक्ट्रेट तक मु य रोड तथा सर्विस रोड के मध्य रेलिंग लगाई जाए। विधायक श्री काश्यप ने सब्जी तथा फल-फूल मंडी के मधुरी क्षेत्र में स्थापित करने पर चर्चा की। साथ ही बताया गया कि त्रिवेणी क्षेत्र में भी शीघ्र ही सब्जी, फल फूल विक्रेताओं के बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी। सौ.

संझलकक्ष 16/3/22

विधायक काश्यप ने बैठक में दिए निर्देश

आमजन अपनी समस्या निराकरण के लिए निगम कार्यालय में आए तो निगमायुक्त उनसे मिलना सुनिश्चित करें

सिंघम रिपोर्टर ❑ रतलाम

शहर के आमजन जब अपनी समस्या के निराकरण के लिए निगम कार्यालय आए तो निगमायुक्त यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति निगमायुक्त से मिल सके और अपनी समस्या बता सके और निगमायुक्त समय सीमा में उस व्यक्ति की समस्या हल करें। उक्त निर्देश विधायक चेतन्य काश्यप ने कलेक्ट्रेट कक्ष में सोमवार को शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलवार, सुनील पाटीदार, एसडीएम राजेश शुक्ला, सीएसपी हेमंत चौहान, आरटीओ दीपक कुमार आदि उपस्थित थे।

बैठक में शहर के सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन के संबंध में चर्चा की गई। सब्जी बेचने वाले हाकर्स को एक नियत स्थान पर सब्जी विक्रय की सुविधा देने पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि आगामी 15 अप्रैल तक सैलाना ओवरब्रिज के नीचे तथा विनोबा नगर श्मशान स्थल के समीप सब्जी विक्रेताओं को विक्रय सुविधा निर्मित कर उपलब्ध करवा दें। विधायक ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि कई स्थानों पर शहर में यह देखा गया है कि सेंट्रल लाइटिंग के ऊपर केबल लाइन खींच दी गई है जो गलत है, उसे हटवाया जाए। सैलाना बस स्टैंड मिशन कंपाउंड से लगी चार दुकानों को पीछे स्थान पर करने के निर्देश भी विधायक ने दिए। बताया गया कि शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा आगे बढ़कर अपना सामान रख दिया जाता है, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए लाइनिंग की जाएगी। विधायक ने निर्देश दिए कि शहर में निर्माण कार्यों में यह सुनिश्चित करें कि निर्माणकर्ता द्वारा नगर निगम के निर्माण अनुमति संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाए। विधायक ने नगर निगम आयुक्त को यह भी निर्देशित किया कि शहर में दुर्घटना संभावित स्थलों मुख्य मार्गों तथा डार्क स्पॉट पर डिवाइडर एवं हाई मास्ट लगाए जाएं।

बैठक में कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि फव्वारा चौक से कलेक्ट्रेट तक मुख्य रोड तथा सर्विस रोड के मध्य रेलिंग लगाई जाए। विधायक श्री काश्यप ने सब्जी तथा फल-फूल मंडी के मथुरी क्षेत्र में स्थापित करने पर चर्चा की। साथ ही बताया गया कि त्रिवेणी क्षेत्र में भी शीघ्र ही सब्जी, फल फूल विक्रेताओं के बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

सिंघम. 15/3/22

त्योहारों पर शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई

रतलाम। आगामी होली, रंग पंचमी तथा अन्य त्योहारों के अवसर पर जिले में शांति तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक सोमवार शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलवार, श्री सुनील पाटीदार, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, श्री हिमांशु प्रजापति, सुश्री कृतिका भिमावद, सुश्री मनीषा वास्कले, श्रीमती कामना ठाकुर, जिले के एसडीओ, पुलिस थाना प्रभारी, तहसीलदार आदि उपस्थित थे।

त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया कि असामाजिक तत्वों तथा बदमाशों पर सख्त निगरानी रखी जाए। छोटी सी घटना पर भी तत्काल संज्ञान लिया जाए। किसी भी घटना पर अधिकारी अपना वीडियो वर्जन जारी करें जिसमें घटना की स्पष्ट जानकारी हो। राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों को सतत संयुक्त भ्रमण के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।

पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि रतलाम जिले में लगभग 1100 होलिका दहन स्थल हैं। संवेदनशील स्थलों की संख्या 100 से 125 तक है। चिन्हांकित संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कवरेज किया जाएगा जिससे कोई भी घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। उसी स्थान पर फ्लेक्स भी लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा कि आप सीसीटीवी निगरानी में है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सतत निरीक्षण करने, सतर्कता बरतने एवं चौकस रहने के निर्देश दिए। उन्होंने तेज गति से चलने वाले बाइकर्स पर भी सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि होली तथा रंगपंचमी के दिवस पर सुबह से लेकर रात तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

स्वतंत्र [illegible] 16/3/22

जिला स्तरीय जनसुनवाई में पहुंचे 74 आवेदन, निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, एसडीएम राजेश शुक्ला द्वारा 74 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य-अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ग्राम बाजना निवासी ओमप्रकाश डामर ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी माध्यमिक विद्यालय गढ़ीगमना में प्रधान अध्यापक पर पदस्थ होकर अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त हो चुका है तथा तकनीकी समस्या के चलते प्रार्थी को पेंशन व अन्य स्वत्वो का भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान नहीं होने से प्रार्थी की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी है तथा प्रार्थी कई बीमारियों से पीडित है। अत: पेंशन व अन्य योजनाओं का भुगतान करने की कृपा की जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है। पिपलौदा तहसील के ग्राम उपरवाडा के निवासियों ने आवेदन देते हुए बताया कि ग्राम उपरवाडा में कुछ समय पहले ग्राम पंचायत द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए जाने हेतु अतिक्रमणकर्ताओं को सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था परन्तु आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अत: अतिक्रमण हटाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम जावरा को प्रेषित किया गया है। ग्राम प्रीतमनगर निवासी प्रदीप पिता रामलाल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी के पिता रामलाल पंवार शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय प्रीतमनगर में पीटीएस के पद पर कार्यरत थे तथा 19 फरवरी 22 को उनकी मृत्यु हो गई। पिता के देहान्त के बाद प्रार्थी को न तो अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान हुई और ना ही किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता। प्रार्थी वर्तमान में मजदूरी कर अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। अत: प्रार्थी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए।

नवभारत

नवभारत 16/3/22

रेलवे के प्रशिक्षण केंद ने जाकर की गंदगी की जांच

कलेक्टर कार्यालय की कैंटीन में ही चल रहे अमानक डिस्पोजल

फॉलोअप

पत्रिका

प्रकाशित खबर।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में नगर निगम के स्पॉट फाइन दल द्वारा आमजन व वीआईपी क्षेत्र में जुर्माना करने के मामले में भेदभाव जारी है। शहर में अगर कोई अमानक डिस्पोजल की बिक्री करते या उपयोग करता पाया जाए तो दल जब्ती करते हुए जुर्माना लगा रहा है, जबकि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जहां बैठते है, वहीं की कैंटीन में धड़ल्ले से अमानक डिस्पोजल का उपयोग हो रहा है। इन सब के बीच रेलवे के महू रोड स्थित गुजराती चाल मेंने प्रशिक्षण केंद्र में जाकर दल ने सदस्यों ने जाकर गंदगी तो देखी लेकिन जुर्माना करने का साहस ना दिखा पाए है।

शहर में अमानक स्तर के डिस्पोजल के खिलाफ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अभियान नगर निगम से चलवाया है। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान 2022 में इस प्रकार के डिस्पोजल की बिक्री करने वाले 100 से अधिक दुकानदारों की दुकानों पर ताले तक लगाने को ठेक लेकर कह दिया गया। इन सब के बीच निगम का विशेष दल प्रतिदिन अलग-अलग स्थान पर जाकर निरीक्षण कर रहा है व जहां अमानक स्तर के डिस्पोजल से लेकर प्लास्टिक की बिक्री होती नजर आती है वहां पर जुर्माना करके जब्ती तक कर रहा है। इन सब के बीच कलेक्टर कार्यालय की कैंटीन में ही अमानक डिस्पोजल का उपयोग हो रहा है। इन सब के बीच पत्रिका की लगातार खबरों के बाद स्पॉट फाइन दल मंगलवार को रेलवे के प्रशिक्षण केंद्र में दोपहर में गया। यहां पर गंदगी देखकर दल लौट आया, जबकि अन्य स्थान पर जुर्माना किया जाता है।

शहर में अमानक प्लास्टिक व डिस्पोजल के खिलाफ सतत अभियान जारी है। जहां - जहां इस प्रकार के डिस्पोजल का उपयोग हो रहा है, वहां सभी स्थान पर कार्रवाई की जा रही है। - **जीके जायसवाल**, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम

पत्रिका।

पत्रिका 16/3/22

दुकानों को पीछे कर लाइन डालें- विधायक

रतलाम, नप्र। सैलाना बस स्टैंड से लगी चार दुकानों को पीछे करने के साथ ही बाजारों में दुकानों के बाहर कब्जों को रोकने के लिए सीमा रेखा खिंची जाए।

शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने इसके निर्देश निगमायुक्त को देते हुए कहा कि समस्या लेकर नगर निगम दफ्तर में आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए निगमायुक्त तय करें। दफ्तर में आने वाले लोगों की मुलाकात उनसे हो सकें, ताकि नागरिक अपनी समस्या उन्हें बता सकें। विधायक ने निगमायुक्त से लोगों की समस्या को भी समय सीमा में हल करने को कहा। उन्होंने सेंट्रल लाईटिंग के ऊपर खिंची गई केबल लाइन को हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना संभावित जगहों, मुख्य मार्गों तथा डार्क स्पॉट पर डिवाइडर और हाईमास्ट लगाए जाएं। वे कल यहां कलेक्टोरेट में शहर विकास के कामों की समीक्षा बैठक में हिस्सा ले रहे थे। यातायात प्रबंधन के अलावा शहर में एक नियत जगह पर सब्जी बेचने की सुविधा मुहैया कराने पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि आगामी 15 अप्रैल तक सैलाना ओवरब्रिज के नीचे तथा विनोबा नगर श्मशान स्थल के पास सब्जी बेचने की सुविधा करवाई जाए। सब्जी तथा फल-फूल मंडी को मथुरी में लगाने की चर्चा की गई। बताया गया कि त्रिवेणी क्षेत्र में भी जल्द ही सब्जी, फल-फूल वालों के इंतजाम किया जाएगा। बैठक में एस.पी. अभिषेक तिवारी के अलावा निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलवार, सुनील पाटीदार, एसडीएम राजेश शुक्ला, सीएसपी हेमंत चौहान तथा आरटीओ दीपक कुमार मौजूद रहे। पृ.क्र.-15

प्रभात किरण 15/3/22

वर्धमान नगर का प्रकरण : कलेक्टर ने आवेदकों की सुनवाई कर प्लाट लौटाने के लिए कॉलोनाइजर को आदेशित किया

रतलाम। शहर के वर्धमान नगर कॉलोनी के 36 आवेदकों द्वारा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को आवेदन दिया गया है कि कॉलोनाइजर ने उनको वर्धमान नगर में प्लाट विक्रय किए हैं रजिस्ट्री भी करवा दी परंतु प्लाट पर कब्जा नहीं मिला है। जनसुनवाई में आई शिकायत पर कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम द्वारा एसडीएम शहर से जांच करवाई गई। उसके पश्चात कॉलोनाइजर को निर्देशित किया गया है कि कॉलोनाइजर सभी आवेदकों को प्लाट प्रदान करें या फिर राशि वापस करें। कलेक्टर द्वारा आगामी 29 मार्च की समय सीमा दी गई है, इसके पश्चात कॉलोनाइजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्दौर

इन्दौर समाचार 16/3/22

वर्धमान नगर में 29 मार्च तक धारकों को प्लाट या राशि देने के निर्देश

रतलाम। रतलाम शहर के वर्धमान नगर कॉलोनी के 36 आवेदकों द्वारा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को आवेदन दिया गया है कि कॉलोनाइजर ने उनको वर्धमान नगर में प्लाट विक्रय किए हैं रजिस्ट्री भी करवा दी परंतु प्लाट पर कब्जा नहीं मिला है। जनसुनवाई में आई शिकायत पर कलेक्टर पुरुषोत्तम द्वारा एसडीएम शहर से जांच करवाई गई। उसके पश्चात कॉलोनाइजर को निर्देशित किया गया है कि कॉलोनाइजर सभी आवेदकों को प्लाट प्रदान करें या फिर राशि वापस करें। कलेक्टर द्वारा आगामी 29 मार्च की समय सीमा दी गई है, इसके पश्चात कॉलोनाइजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अग्निबाण - 15

अग्निबाण 15/3/22

वर्धमान नगर का प्रकरण : कलेक्टर ने आवेदकों की सुनवाई कर प्लाट लौटाने के लिए कॉलोनाइजर को आदेशित किया

रतलाम। शहर के वर्धमान नगर कॉलोनी के 36 आवेदकों द्वारा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को आवेदन दिया गया है कि कॉलोनाइजर ने उनको वर्धमान नगर में प्लाट विक्रय किए हैं रजिस्ट्री भी करवा दी परंतु प्लाट पर कब्जा नहीं मिला है। जनसुनवाई में आई शिकायत पर कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम द्वारा एसडीएम शहर से जांच करवाई गई। उसके पश्चात कॉलोनाइजर को निर्देशित किया गया है कि कॉलोनाइजर सभी आवेदकों को प्लाट प्रदान करें या फिर राशि वापस करें। कलेक्टर द्वारा आगामी 29 मार्च की समय सीमा दी गई है, इसके पश्चात कॉलोनाइजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रसारण

प्रसारण 16/3/22

आमजन अपनी समस्या निराकरण के लिए निगम कार्यालय में आए तो निगमायुक्त उनसे मिलना सुनिश्चित करें

विधायक काश्यप ने बैठक में दिए निर्देश

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

रतलाम शहर के आमजन जब अपनी समस्या के निराकरण के लिए निगम कार्यालय आए तो निगमायुक्त यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति निगमायुक्त से मिल सके और अपनी समस्या बता सकें और निगमायुक्त समय सीमा में उस व्यक्ति की समस्या हल करें। उक्त निर्देश विधायक चेतन्य काश्यप ने कलेक्ट्रेट कक्ष में सोमवार को शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ.इंद्रजीत बाकलवार, सुनील पाटीदार, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, सीएसपी हेमंत चौहान, आरटीओ दीपक कुमार आदि उपस्थित थे।

बैठक में शहर के सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन के संबंध में चर्चा की गई। सब्जी बेचने वाले हाकर्स को एक नियत स्थान पर सब्जी विक्रय की सुविधा देने पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि आगामी 15 अप्रैल तक सैलाना ओवरब्रिज के नीचे तथा विनोबा नगर श्मशान स्थल के समीप सब्जी विक्रेताओं को विक्रय सुविधा निर्मित कर उपलब्ध करवा दें। विधायक ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि कई स्थानों पर शहर में यह देखा गया है कि सेंट्रल लाइटिंग के ऊपर केबल लाइन खींच दी गई है जो गलत है, उसे हटवाया जाए। सैलाना बस स्टैंड मिशन कंपाउंड से लगी चार दुकानों को पीछे स्थान पर करने के निर्देश भी विधायक ने दिए। बताया गया कि शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा आगे बढ़कर अपना सामान रख दिया जाता है, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए लाइनिंग की जाएगी। विधायक ने निर्देश दिए कि शहर में निर्माण कार्यों में यह सुनिश्चित करें कि निर्माणकर्ता द्वारा नगर निगम के निर्माण अनुमति संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाए। विधायक ने नगर निगम आयुक्त को यह भी निर्देशित किया कि शहर में दुर्घटना संभावित स्थलों मुख्य मार्गों तथा डार्क स्पॉट पर डिवाइडर एवं हाई मास्ट लगाए जाएं।

बैठक में कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि फव्वारा चौक से कलेक्ट्रेट तक मुख्य रोड तथा सर्विस रोड के मध्य रेलिंग लगाई जाए। विधायक श्री काश्यप ने सब्जी तथा फल-फूल मंडी के मथुरी क्षेत्र में स्थापित करने पर चर्चा की। साथ ही बताया गया कि त्रिवेणी क्षेत्र में भी शीघ्र ही सब्जी, फल फूल विक्रेताओं के बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

राज एक्सप्रेस 16/3/22

29 मार्च तक प्लॉट या पैसा लौटाएं

रतलाम, नप्र। शहर के वर्धमाननगर में भूखंड खरीदने वालों को कॉलोनाइजर भूखंड दें या फिर राशि वापस करें। ये निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कॉलोनाइजर को देते हुए इसके लिए आगामी 29 मार्च का समय दिया है। इसके बाद कॉलोनाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रतलाम शहर के वर्धमान नगर कॉलोनी के ऐसे 36 आवेदकों ने कलेक्टर को आवेदन दिया था, जिसमें बताया कि कॉलोनाइजर ने उनको वर्धमान नगर में प्लाट बेचे है जिसकी रजिस्ट्री भी करवा दी लेकिन आवेदकों को अब तक प्लाट पर कब्जा नहीं मिला है। जनसुनवाई में आई शिकायत पर कलेक्टर ने रतलाम शहर एसडीएम से जांच करवाई इसके बाद कॉलोनाइजर को निर्देश दिए। प्र.की.15

प्रभात किरण 15/3/22

आमजन अपनी समस्या निराकरण के लिए निगम कार्यालय में आए तो निगमायुक्त उनसे मिलना सुनिश्चित करें

रतलाम। रतलाम शहर के आमजन जब अपनी समस्या के निराकरण के लिए निगम कार्यालय आए तो निगमायुक्त यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति निगमायुक्त से मिल सके और अपनी समस्या बता सके और निगमायुक्त समय सीमा में उस व्यक्ति की समस्या हल करें। उक्त निर्देश विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने कलेक्ट्रेट कक्ष में सोमवार को शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलवार, श्री सुनील पाटीदार, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, सीएसपी श्री हेमंत चौहान, आरटीओ श्री दीपक कुमार आदि उपस्थित थे। बैठक में शहर के सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन के संबंध में चर्चा की गई। सब्जी बेचने वाले हाकर्स को एक नियत स्थान पर सब्जी विक्रय की सुविधा देने पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि आगामी 15 अप्रैल तक सैलाना ओवरब्रिज के नीचे तथा विनोबा नगर श्मशान स्थल के समीप सब्जी विक्रेताओं को विक्रय सुविधा निर्मित कर उपलब्ध करवा दें। विधायक ने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि कई स्थानों पर शहर में यह देखा गया है कि सेंट्रल लाइटिंग के ऊपर केबल लाइन खींच दी गई है जो गलत है, उसे हटवाया जाए। सैलाना बस स्टैंड मिशन कंपाउंड से लगी चार दुकानों को पीछे स्थान पर करने के निर्देश भी विधायक ने दिए। बताया गया कि शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा आगे बढ़कर अपना सामान रख दिया जाता है, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए लाइनिंग की जाएगी। विधायक ने निर्देश दिए कि शहर में निर्माण कार्यों में यह सुनिश्चित करें कि निर्माणकर्ता द्वारा नगर निगम के निर्माण अनुमति संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाए। विधायक ने नगर निगम आयुक्त को यह भी निर्देशित किया कि शहर में दुर्घटना संभावित स्थलों मुख्य मार्गों तथा डार्क स्पॉट पर डिवाइडर एवं हाई मास्ट लगाए जाएं। बैठक में कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि फव्वारा चौक से कलेक्ट्रेट तक मुख्य रोड तथा सर्विस रोड के मध्य रेलिंग लगाई जाए। स्वतंत्र

स्वतंत्र रतलाम 16/3/22